अंतरिम आदेश | हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश, राज्य शासन व मप्र कर्मचारी चयन मंडल को नोटिस जारी

प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा की मेरिट लिस्ट अंतिम निर्णय के अधीन

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा-2025 के परीक्षा परिणामों में कथित गड़बड़ी और अपात्र उम्मीदवारों को गलत तरीके से पांच प्रतिशत बोनस अंक दिए जाने के आरोप को गंभीरता से लिया। इसी के साथ अंतरिम आदेश के जरिए मेरिट लिस्ट विचाराधीन याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दी। साथ ही राज्य शासन व मप्र कर्मचारी चयन मंडल को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जबाब पेश करने के निर्देश दिये है।

याचिकाकर्ता नरसिंहपुर निवासी सोनम अगरैया सहित अन्य उम्मीदवारों की ओर से अधिवक्ता आलोक वागरेचा, विशाल बघेल व आयुष बघेल ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा-2025 भर्ती विज्ञापन की कंडिका 7.7 के तहत केवल उन उम्मीदवारों को पांच प्रतिशत बोनस अंक मिलने थेए जिनके पास भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) से मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में डिप्लोमा है। चयन सूची में लगभग 14 हजार 964 उम्मीदवारों ने खुद को इस श्रेणी में दिखाकर बोनस अंक प्राप्त कर लिए हैं।

याचिका में भारतीय पुनर्वास परिषद के आधिकारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया है कि पूरे प्रदेश में आरसीआई पोर्टल पर केवल 2,194 कार्मिक और 3,077 पेशेवर ही पंजीकृत हैं। ऐसे में लगभग 15 हजार उम्मीदवारों का विशेष शिक्षा प्रमाण पत्र धारक होना प्रथमदृष्ट्या फर्जी प्रतीत होता है। लोक शिक्षण संचालनालय ने भी जनवरी 2026 में विभाग को आगाह किया था कि लगभग 18 हजार उम्मीदवारों ने हां का विकल्प चुना है, जो अत्यधिक प्रतीत होता है। इसके बावजूद सुधार के लिए पोर्टल खोलने के बाद भी मंडल के द्वारा उम्मीदवारों से आरसीआई पंजीकरण संख्या या प्रमाणपत्र नहीं मांगा गया।

नहीं हुआ भौतिक सत्यापन

बिना किसी भौतिक सत्यापन के साफ्टवेयर के माध्यम से उम्मीदवारों के डिक्लेरेशन के आधार सीधे बोनस अंक दे दिए गए। इससे वास्तविक और योग्य उम्मीदवारों की मेरिट गिर गई और वे चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए। दलील दी गई कि झूठी जानकारी देकर चयन होने के बाद सैकड़ों अभ्यर्थी जिन्हें मेरिट में पांच प्रतिशत बोनस अंक मिले हैं, वे भी हाइकोर्ट की शरण में हैं। उन्होंने कहा है कि जल्दबाजी में हुई त्रुटि के कारण उनके द्वारा बोनस अंक का लाभ प्राप्त कर लिया जबकि उनके पास उससे संबंधित कोई भी प्रमाण पत्र नहीं है। याचिका में 27 फरवरी 2026 को जारी दोषपूर्ण मेरिट लिस्ट को निरस्त करने की मांग की गई है व केवल वैध आरसीआई प्रमाणपत्र धारकों को ही बोनस अंक देकर नई मेरिट सूची जारी करने की मांग की गई है।

शेयर ट्रेडिंग में निवेश के नाम पर तीस लाख की धोखाधड़ी

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने शेयर ट्रेडिंग में निवेश के नाम पर तीस लाख की धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज न किए जाने पर जवाब-तलब किया है। याचिकाकर्ता मऊगंज जिले के ग्राम खजुराहन निवासी प्रमोद कुमार कुशवाहा की ओर से अधिवक्ता मनोज कुशवाहा व कौशलेंद्र सिंह ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता बीज भंडार का व्यवसाय करता है। फरवरी 2024 में ग्राम पाडर निवासी आनंद सिंह पिता महेंद्र सिंह, ग्राम राजगवा निवासी अच्छेलाल पटेल पिता कौशल लाल पटेल व जितेश श्रोती, प्रताप बृजेंद्र बिहारी उनके प्रतिष्ठान पर आए और स्वयं को शेयर मार्केट में निवेश कराने का व्यवसाय करने वाला बताया। आरोपियों ने याचिकाकर्ता को भरोसा दिलाया कि निवेश करने पर अच्छा मुनाफा मिलेगा और दीपावली तक पूरी राशि वापस कर दी जाएगी। उनके झांसे में आकर याचिकाकर्ता ने अलग-अलग समय पर बैंक के माध्यम से लगभग 30 लाख रुपये का भुगतान कर दिया। किन्तु बाद में आरोपियों ने अपने मोबाइल फोन बंद कर दिए और संपर्क से बाहर हो गए। इस संबंध में पता करने पर की याचिकाकर्ता को पता लगा कि ये लोग गिरोह बनाकर कई लोगों से पैसे ऐंठ चुके हैं। इसके बाद याचिकाकर्ता ने पुलिस थाना मऊगंज में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। आरोप है कि पुलिस और आरोपियों के बीच सांठगांठ के कारण कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने 23 अक्टूबर 2025 को पुलिस अधीक्षक मऊगंज को भी लिखित शिकायत दी, लेकिन वहां भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंततः हाईकोर्ट की शरण ली गई। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पुलिस विभाग को केस डायरी प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है।

560 दिन लगातार उत्पादन, विद्युत गृह की यूनिट पांच ने बनाया रिकॉर्ड

जबलपुर, नवभारत। मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई की 210 मेगावाट क्षमता वाली यूनिट नंबर 5 ने लगातार 560 दिनों तक निर्बाध विद्युत उत्पादन कर एक बार फिर अपनी उत्कृष्टता साबित की है। इस उपलब्धि के साथ यह यूनिट 210 मेगावाट श्रेणी में देश की दूसरी सबसे अधिक दिनों तक लगातार उत्पादन करने वाली यूनिट बन गई है। इस दौरान यूनिट ने एनटीपीसी के विंध्याचल सुपर ताप विद्युत गृह, सिंगरौली को पीछे छोड़ दिया। वहीं सभी श्रेणियों को मिलाकर देखा जाए तो यह यूनिट देश की उन शीर्ष विद्युत इकाइयों में शामिल हो गई है, जिन्होंने सबसे लंबे समय तक निरंतर उत्पादन किया है—इस सूची में इसका चौथा स्थान है। यूनिट 1 अक्टूबर 2024 से लगातार बिजली उत्पादन कर रही है।

तकनीकी मानकों पर भी यूनिट का प्रदर्शन बेहद प्रभावशाली रहा है। इस अवधि में 98.78% प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर 95.48% प्लांट लोड फैक्टर और 9.28% ऑक्जिलरी कंजम्प्शन जैसे उच्च मानक हासिल किए गए हैं। ये आंकड़े यूनिट की दक्षता, विश्वसनीयता और तकनीकी मजबूती को दर्शाते हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा नीरज मंडलोई के प्रबंध संचालक मनजीत सिंह ने इस उपलब्धि को टीम के समर्पण, बेहतर योजना, मजबूत रखरखाव प्रणाली और सतत निगरानी का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि इतने लंबे समय तक बिना किसी बड़ी बाधा के संचालन बनाए रखना संस्थान की पेशेवर कार्यशैली और तकनीकी दक्षता का प्रमाण है।

मामा-भांजे पर हमला, दहशत फैलाने हवाई फायरिंग

जबलपुर। माढ़ोताल थाना अंतर्गत मंगेला नया मोहल्ला में भूसा ढोने के बाद पैसे मांगने पर दबंगों ने न केवल एक युवक और उसके मामा की जमकर पिटाई की, बल्कि फरसे से हमला करने के साथ-साथ सरेराह पिस्टल से फायर कर इलाके में दहशत फैला दी।

पुलिस से मिली जानकारी अनुसार कमला नेहरू नगर, मदनमहल निवासी राहुल पटेल (28) भूसा मशीन चलाने का काम करता है। बीती रात करीब 8 बजे जब वह अपने मामा विकास कुशवाहा के साथ मंगेला में ट्रैक्टर का इंतजार कर रहा था, तभी वहां मिलन यादव अपने साथी बब्बू यादव और दो अन्य गुर्गों के साथ आ धमका। मिलन ने राहुल पर जबरन और मुफ्त में भूसा ढोने का दबाव बनाया। जब राहुल ने 3000 रुपये प्रति ट्राली का किराया मांगा, तो आरोपी विवाद करने पर उतारू हो गए। इस दौरान दो आरोपियों ने विकास कुशवाहा को पकड़ लिया, जबकि मिलन यादव ने बब्बू यादव को फरसा थमा दिया। हमले के दौरान राहुल ने किसी तरह खुद को बचाया, लेकिन फरसे का बट उसके सीने में जा लगा। जब भांजा-मामा अपनी जान बचाकर भागने लगे, तो मिलन यादव ने सरेआम पिस्टल निकाल ली। आरोपी ने जान से मारने की धमकी देते हुए हवाई फायर किया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। राहुल पटेल और उसके मामा विकास कुशवाहा के हाथ, पैर और माथे पर गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने मंगेला में दबिश देते हुये आरोपी मिलन यादव 55 वर्ष निवासी मंगेला माढोताल को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर पिस्टल अपने भाई बब्बू यादव को देना बताया। आरोपी बब्बू यादव एवं अन्य की तलाश जारी है। आरोपी मिलन यादव को प्रकरण में विधिवत गिरफ्तार करते हुये न्यायालय के समक्ष पेश करते हुये न्यायिक अभिरक्षा मे जेल निरूद्ध कराया गया।

सीबीआई ऑफिसर बनकर छात्रा से ठगी

लंदन से आ रहे दोस्त के पास अवैध सोना का दिखाया डर

जबलपुर। अधारताल थाना अंतर्गत न्यू कंचनपुर, शारदा कॉलोनी में रहने वाली बी-फार्मा की एक छात्रा इंस्टाग्राम फ्रेंड और फर्जी सीबीआई ऑफिसर के बुने हुए जाल में फंस गई। जालसाजों ने अवैध सोना का डर दिखा छात्रा से किस्तों में कुल 27 हजार रुपए की ठगी की है।

पुलिस से मिली जानकारी अनुसार शगुन तिवारी (21) निवासी न्यू कंचनपुर, शारदा कॉलोनी की करीब डेढ़ महीने पहले इंस्टाग्राम के माध्यम से पहचान रवि शर्मा नाम के युवक से हुई थी। दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला इंस्टाग्राम से शुरू होकर व्हाट्सएप चैटिंग और कॉलिंग तक पहुँच गया। रवि ने छात्रा को खुद के यूके (लंदन) में होने की बात कहकर पूरी तरह अपने विश्वास में ले लिया था। रवि ने शगुन को व्हाट्सएप पर एक फ्लाइट टिकट भेजा और बताया कि वह लंदन से मुंबई और फिर वहां से जबलपुर आ रहा है। उसने छात्रा को कॉल कर बताया कि वह मुंबई एयरपोर्ट पहुँच चुका है, लेकिन उसे सीबीआई अधिकारियों ने रोक लिया है। उसने बहाना बनाया कि उसके पास सोना और यूएस डॉलर हैं, जिसके टैक्स और परमिशन कार्ड के लिए उसे तत्काल इंडियन करेंसी की जरूरत है। रवि के कॉल के ठीक 15 मिनट बाद शगुन को एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को मुंबई एयरपोर्ट का सीबीआई ऑफिसर बताया। उसने छात्रा को डराया कि रवि के पास अवैध सोना है और यदि उसे छुड़ाना है, तो टैक्स के 27 हजार और परमिशन लेटर के 15 हजार रुपए भरने होंगे। रवि ने भी कॉल कर रोते हुए मदद की गुहार लगाई, जिससे छात्रा घबरा गई। अपने दोस्त को मुसीबत में समझकर छात्रा ने अपने परिचितों से पैसे उधार लिए और जालसाजों द्वारा भेजे गए क्यूआर कोड पर पैसे ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। 27 हजार रुपए भेजने के बाद जब जालसाजों की डिमांड और बढ़ी और वे 15 हजार रुपए और मांगने लगे, तब छात्रा के पिता को संदिग्ध ट्रांजेक्शनों की भनक लगी। पिता द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर छात्रा ने पूरी कहानी बताई, जिसके बाद समझ आया कि यह एक सोची-समझी डिजिटल ठगी थी। पीड़िता ने अब थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है।

गोलीकांड का आरोपी गिरफ्तार

जबलपुर । बरेला थाना अंतर्गत परतला चौराहे पर 9 अप्रैल की रात्रि हुई फायरिंग में फरार एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है ।जबकि अन्य की तलाश शुरू कर दी गई है । पुलिस के मुताबिक महगवां निवासी कपिल कुमार लोधी (21) अपने मामा भारत पटेल की बेटी के लगुन कार्यक्रम में शामिल होने ग्राम परतला गया था। नौ अप्रैल की रात लगभग 8 :30 बजे कपिल अपने चाचा दिनेश लोधी और भाई कमलेश उर्फ पंकज लोधी के साथ परतला चौराहा स्थित नोखेलाल की दुकान के पास खड़ा था। इसी दौरान पड़वार रोड की ओर से एक काले रंग की स्कार्पियो से जमुनिया निवासी नितिन मिश्रा अपने एक साथी के साथ आया ।नितिन मिश्रा ने विवाद करते हुए मनीष पटेल से मारपीट की उसे जबरन कार में घसीटने की कोशिश की। मनीष पटेल हाथ छुड़ाकर गांव की ओर भागा। आरोपी नितिन मिश्रा ने पिस्टल से फायर कर दिया था। निशाना चूकने के कारण गोली मनीष को न लगकर वहां खड़े कमलेश उर्फ पंकज लोधी को लग गई थी।

भारत की जनगणना 2027 CENSUS OF INDIA जनगणना से जन कल्याण

गृह मंत्रालय भारत सरकार सत्यमेव जयते

हमारी जनगणना, हमारा विकास

(जनगणना 2027 का पहला चरण)

भारत सरकार द्वारा आपके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना आरंभ होने जा रही है
इससे पहले 15 दिनों की विशेष सुविधा दी जा रही है, जिसमें आप स्वयं अपनी जानकारी ऑनलाइन भर सकते हैं

मैं हूँ प्रगति

मैं हूँ विकास

स्व-गणना (Self-Enumeration)

सरल और सुरक्षित डिजिटल सुविधा

कैसे करें स्व-गणना ?

1. आधिकारिक पोर्टल (se.census.gov.in) पर जाएँ
2. अपने मोबाइल नंबर से OTP द्वारा लॉगिन करें
3. अपना राज्य, जिला और स्थानीय विवरण चुनें
4. डिजिटल मानचित्र पर अपने घर का स्थान चिन्हित करें
5. मकान एवं परिवार से संबंधित जानकारी भरें
6. सबमिशन के बाद SE ID मिलेगी
7. SE ID सुरक्षित रखें
8. प्रगणक (Enumerator) आने पर SE ID दें
9. प्रगणक जानकारी की पुष्टि करेंगे

इसके लाभ
- समय की बचत
- सटीक जानकारी
- तेज़ डेटा प्रोसेसिंग

याद रखें स्व-गणना एक विशेष सुविधा है
यदि आप स्व-गणना नहीं कर पाते हैं, तो चिंता न करें, निर्धारित अवधि में प्रगणक आपके घर आकर जानकारी अवश्य दर्ज करेंगे
आपकी सभी जानकारी पूरी तरह गोपनीय और सुरक्षित रहेगी

मध्य प्रदेश

स्व-गणना 16 से 30 अप्रैल

मकानसूचीकरण 1 से 30 मई

CBC 19108/13/0013/2627

चलो निभाएं अपनी ज़िम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी

CensusIndia2027

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57